

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2629]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2015/अग्रहायण 18, 1937

No. 2629]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2015/AGRAHAYANA 18, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3314(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन गुजरात राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पालनपुर-बडोदरा पाइपलाइन परियोजना, के लिए सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए श्री एन. डी. ज़ाला, सहायक आयुक्त-एसएसपीए, गुजरात सरकार को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर 3105/6/2004-ओ.आर. II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2015

S.O. 3314(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorizes Shri N. D. Zala, Assistant Commissioner-SSPA, Government of Gujarat to Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) to perform the functions of Competent Authority for HPCL's Palanpur-Vadodara Pipeline Project under the said Act, within the Territory of Gujarat State.

[F. No. R-31015/6/2004-OR. II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.